



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265615-7 Fax 0291-2612086

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/5018

दिनांक:- 09/12/22

-:कार्यवाही विवरण:-

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प.17(1)नवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 01 बैठक दिनांक 02.12.2022 को उपायुक्त (जोन 01) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार है:-

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 56/1, रकबा 41855.30 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार), भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
5. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 6, 25, 26, रकबा 23221.34 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
4. प्रश्नगत भूमि में से जोनल प्लान की 18 मीटर सड़क गुजर रही है जिसका मानचित्र पर अंकन किया जावे।
5. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
6. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
03.	राजस्व ग्राम डिगाडी के खसरा संख्या 102, 105, रकबा 11117.78 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रतिज्ञा सोनी
तहसीलदार

सौरभ गहलोत
सहायक नगर निवेशक
9/12/22

शुभला शेरवात
आर.एस.
उपायुक्त

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. भूमि में से गुजर रही मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क का अंकन किया जावे।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
6. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
04.	राजस्व ग्राम डीगाडी के खसरा संख्या 157, रकबा 81872.74 वर्गमीटर (सर्वे मानचित्र अनुसार) भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया-

1. प्रश्नगत भूमि में कोई वाद लम्बित नहीं होने व अवाप्ति शाखा में विचारधीन नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर से की जानी होगी।
2. प्रश्नगत भूमि में सरकारी भूमि सम्मिलित नहीं हो, की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे।
3. भूमि में से गुजर रही मास्टर डवलपमेंट प्लान की 30 मीटर सड़क का अंकन किया जावे।
4. उक्त ले-आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोड़े जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
5. ले-आउट प्लान की समस्त सड़कों को न्यूनतम 30 फीट रखा जावे।
6. प्रश्नगत भूमि में एच.टी लाईन संबंधित टिप्पणी जोन स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

एजेण्डा संख्या	विषय
05.	राजस्व ग्राम डीगाडी के खसरा संख्या 180, का आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त प्रश्नगत भूमि आर्मी एरिया से प्रभावित नहीं होने की सुनिश्चितता जोन स्तर करते हुए आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

06.	राजस्व ग्राम डीगाडी के खसरा संख्या 153, 153/200, अनुमोदित मानचित्र में संशोधन के संबंध में।
-----	---

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रश्नगत ब्लॉक के पूर्व में जारी पट्टा विलेख व अनुमोदित मानचित्र व मौका अनुसार उपलब्ध सड़क मार्गाधिकार के परिपेक्ष में जाँच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

07.	राजस्व ग्राम डीगाडी के खसरा संख्या 55/8, अनुमोदन मानचित्र में संशोधन के संबंध में।
-----	--

प्रतिज्ञा सोनी
तहसीलदार

सौरभ गहलोत
सहायक नगर नियोजक

9/12/22

9/12/22

निर्णय :- समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श प्रश्नगत ब्लॉक के पूर्व में जारी पट्टा विलेख व अनुमोदित मानचित्र व मौका अनुसार उपलब्ध सड़क मार्गाधिकार के परिपेक्ष में जाँच कर आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

08.	राजस्व ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 39 के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या के अंकन के संबंध में।
-----	---

निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार-विमर्श उपरान्त पूर्व अनुमोदित मानचित्र में मौका रिपोर्ट व सवामित्व दस्तावेज अनुसार भूखण्ड संख्या का अंकन करने का निर्णय लिया गया।

तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण
तहसीलदार

सहायक नगर निर्याजक (जोन 01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिशायी अभियन्ता (जोन 01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन 01)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./ जो.स्त.स./का.वि./2022/ 5029-32 .
प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन01, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशायी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन01, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन01)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक:- 09/12/22